कार्यालय अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पत्रांक सः अ.छा.क./शु.मुक्ति/2019–20/391 दिनॉकः अक्टूबर 10, 2020

विषय :– स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षिक वर्ष 2019–20 में शुल्क मुक्ति हेतु सूचना।

इस कार्यालय द्वारा निर्गत सूचना संख्या अ0छा0क0/शु0मुक्ति/2019–20 दिनॉक 13 फरवरी, 2020 के क्रम में विश्वविद्यालय के स्नातक कक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ रहे छात्रों से शिक्षण शुल्क मुक्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। शुल्क मुक्ति हेतु निम्नलिखित शर्ते हैः–

1. छात्र के अभिभावक की वर्ष 2019–20 की सकल वार्षिक आय रुपये 25000/– से अधिक न हो (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र वांछित)।
2. छात्र को किसी भी प्रकार का अस्थायी निष्कासन दंड ए.पी. अथवा सी.पी. का दंड न मिला हो।
3. शुल्क मुक्ति शैक्षिक वर्ष 2019–20 के प्रथम सत्र में पंजीकरण की तिथि से सत्र की अंतिम परीक्षा समाप्त होने की तिथि तक देय होगी।
4. वर्ष 2019 में प्रवेश लेने वाले नये छात्रों को दोनों षट्मासों का **SEMESTER REGISTRATION CARD** वर्ष 2019–20 की पुराने (पुराने बैच के) छात्रों की शैक्षिक वर्ष 2018–19 के दोनों षट्मासों की अंकतालिका (ग्रेड शीट) संलग्न करनी होगी।
5. आय का मूल प्रमाण पत्र वेतनभोगी अभिभावकों का सेवायोजकों से एवं निजी व्यवसाय का तहसीलदार अथवा परगनाधिकारी की सील एवं हस्ताक्षर सहित हो (संलग्न करना आवश्यक है)। शैक्षिक वर्ष 2019–20 की आय 31 मार्च 2020 तक की ही आवश्यक है।
6. आवेदन पत्र छात्र के सलाहाकार/अधिष्ठाता अनुमोदित होना आवश्यक है।
7. सभी प्रकार से पूर्ण भरे हुये आवेदन पत्र दिनॉक **31.10.2020** तक स्वीकार किये जायेगें। दिनॉक **31.10.2020** के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व छात्र का स्वंय होगा।

शुल्क मुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र अद्योहताक्षरी कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त किए जा सकते हैं साथ ही साथ यह आवेदन पत्र विश्वविद्यालय बेबसाइट www.gbpuat.ac.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :– शुल्क मुक्ति आवेदन प्रारुप।

(बृजेश सिंह) 10/10/2020
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः

1. समस्त महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त महाविद्यालयों के सूचना पटों, छात्रावासों, पुस्तकालय, कुलसचिव, नियंत्रक एवं छात्र कल्याण के सूचना पटों पर।
3. कुलसचिव।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाइट को उक्त सूचना (आवेदन पत्र सहित) विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के सूचनार्थ।